



दिनांक- 22.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त निरीक्षक श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तगण 1. धनश्याम पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम अलीपुरा भागूवाला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर, 2. सतपाल सिंह पुत्र चमन निवासी ग्राम अलीपुरा भागूवाला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व 3. राजपाल पुत्र चमन सिंह समस्त निवासी ग्राम अलीपुरा भागूवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 5701/ 2009 अन्तर्गत धारा 198 भादवि व 7 सीएलएक्ट चालानी थाना मिर्जापुर में अभियुक्त 4.शौकीन पुत्र ताहिर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर हाल निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 197/2020 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना मिर्जापुर में व अभियुक्त 5. अराफत पुत्र जफर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 687/17 धारा 363/366 भादवि थाना बिहारीगढ में थाना क्षेत्र मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. धनश्याम पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम अलीपुरा भागूवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. सतपाल सिंह पुत्र चमन निवासी ग्राम अलीपुरा भागूवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. राजपाल पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम अलीपुरा भागूवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. अराफत पुत्र जफर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. शौकीन पुत्र ताहिर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर वर्तमान पता ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री अजय कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 777 अजय शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. का0 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. का0 2415 अंकित थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए 01

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.04.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त भानू उर्फ कार्तिक पुत्र पंकज निवासी ग्राम खेडा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले भगा ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 75/25 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहर्ता की सकुशल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त भानू उर्फ कार्तिक पुत्र पंकज निवासी ग्राम खेडा थाना झिंझाना जनपद शामली को देवबन्द रोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

भानू उर्फ कार्तिक पुत्र पंकज निवासी ग्राम खेडा थाना झिंझाना जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 597 मोहसीन खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 820 अनुज थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. म0है0का0 571 पायल थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 22.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 31 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त रब्बानी पुत्र महबूब निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को कुल 31 ग्राम अवैध स्मैक सहित ग्राम चढ़ाव के रास्ते पर स्थित सेतू के आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्त रब्बानी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और मैं अपने एक रिश्तेदार से यह नशीला सामान लेकर आया था। यहाँ गांव में नशा करने वाले लोगो को बेचकर अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रब्बानी पुत्र महबूब निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

कुल 31 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 04/25 धारा 109 बीएनएस थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 447/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. हे0का0 301 प्रवीण ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 2122 लोकेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
7. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 22-04-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नकली इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी इंजेक्शन बनाने का सामान, 8,50,000/- रुपये नकद व 02 कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी/बिक्री/निर्माण की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा नकली ओक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाले 03 अभियुक्तगण 1. भूरा पुत्र अहसान नि0 ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह सहारनपुर, 2. सोनू पुत्र अहसान नि0 ग्राम कुण्डा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 3. नूरहसन पुत्र अहसान निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम गुरुनानकपुर से पहले ग्राम आलमपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से नकली इंजेक्शन बनाने का सामान (575 नकली इंजेक्शन की शीशी (80 मि0ली0 प्रत्येक), कोलोरोब्यूटेनाल क्रिस्टल, एसिटिक एसिड, ओक्सीटोसीन आदि सामान), 8,50,000/- रुपये नकद व 02 कार बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 131/25 धारा 318(4)/125/275 बी.एन.एस व 18 C औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त नूरहसन के खिलाफ थाना जनकपुरी में वर्ष 2022 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है, जिसमें थाना जनकपुरी से पत्राचार कर पूर्व के मुकदमे में जमानत निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हमने ओक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने का काम इंटरनेट पर YOUTUBE/GOOGLE व इंटरनेट की कई अन्य वेबसाइट के माध्यम से सीखा था। फर्जी इंजेक्शन बनाने के लिए कच्चा माल हम लोग दिल्ली से लाते हैं दिल्ली में एक व्यक्ति जिसका नाम पता हम नहीं जानते हैं। वह हमें रास्ते में सड़क पर ही कच्चा माल उपलब्ध करा देता है। कच्चे माल से हम लोग ओक्सीटोसीन इंजेक्शन बनाते हैं तथा जिनको हम लोग जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत व शामली में बेच देते हैं और हमारे अन्य साथी इंजेक्शन को हरियाणा व उत्तराखण्ड के जिलों में भी बेचने के लिए जाते हैं। नकली इंजेक्शनों को बेचकर जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) भूरा पुत्र अहसान नि0 ग्राम कुण्डाकलां थाना गंगोह सहारनपुर
- (2) सोनू पुत्र अहसान नि0 ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (3) नूरहसन पुत्र अहसान नि0 ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 8.50 लाख रुपये नकद

- 575 नकली इंजेक्शन की शीशी- 80 मि०ली० प्रत्येक
- 01 जरीकैन में कोलोरोब्यूटेनाल क्रिस्टल
- 01 जरीकैन एसिटिक एसिड - 05 लीटर
- 01 जरीकैन ओक्सीटोसीन – 30 लीटर
- 06 पैकिंग की मशीन
- 03 कि०ग्रा० एल्युमिनियम ढक्कन
- 90 खाली शीशी - 200 मि०ली०
- 01 बड़ा बोरा खाली शीशी 80 मि०ली०
- 01 ब्रेजा कार रंग सफेद रजि० नं० HR 10AD 9625
- 01 आल्टो कार रंग लाल रजि० नं० UA 08TC 101 (अस्थायी नम्बर प्लेट लगी है)

अभियुक्त नूरहसन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- (1) मु०अ०स० 39/22 धारा 120बी/420/406/506 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
- (2) मु०अ०सं०-131/25 धारा 318(4)/125/275 बी.एन.एस व 18C औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. उ०नि० श्री ऋषिपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है०कां० 579 श्री शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. कां० 1663 श्री सचिन खोखर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. कां० 688 श्री प्रवीण तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. कां० 326 श्री रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. कां० 126 श्री सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर